(मंजरी नेहरू कौल जे)

राजन गुप्ता और मंजरी नेहरू कौल जे जे **के सम्मुख**

नीतू गौर-अपीलार्थी (ओं)

बनाम

नवीन एंगरिश उत्तर वादी

एफ ए ओ- एम 201

3 अक्टूबर, 2019

ए. हिंदू विवाह अधिनियम**, 1955-** एस **13-** पत्नी द्वारा तलाक याचिका-क्रूरता का आधार-आयोज क्रूरता का तथ्य मामले-दर- मामले भिन्न होता है-शारीरिक हिंसा या अक्षम्य प्रकृति के अमानवीय व्यवहार का एकल कार्य भी क्रूरता के दायरे में आ सकता है -तथ्यों पर**,** बच्चों के ऊनी कपड़ों को भी पीछे छोड़े बिना कठोर सर्दियों में **अज्ञात** स्थान पर गायब होने के पति के कार्य को पत्नी और बच्चों के प्रति कठोर और अमानवीय माना जाता था - क्रूरता के दायरे में आना।

हम अपीलार्थी- पत्नी की याचिका को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं कि प्रतिवादी-पति द्वारा उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया था। क्रूरता का तथ्य मामले-दर-मामले अलग-अलग होगा और किसी विशेष मामले में क्रूरता क्या होगी, इसके बारे में कोई सीधा सूत्र निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि कई बार शारीरिक हिंसा या अमानवीय व्यवहार का एक अकेला कार्य भी ऐसी अक्षम्य प्रकृति का हो सकता है जो 'क्रूरता' के दायरे में आता है। हाथ में आये हुए मामले की ओर इशारा करते हुए, यह तथ्य कि प्रतिवादी-पति एक अज्ञात स्थान पर गायब हो गया और वह भी कठोर सर्दियों के महीनों में अपने बच्चों के लिए ऊनी कपड़े भी छोड़े बिना अपनी पत्नी और बच्चों दोनों के प्रति उसके कठोर और अमानवीय व्यवहार को दर्शाता है जो निश्चित रूप से क्रूरता के दायरे में आता है। प्रत्यर्थी पति का आचरण सबसे अनुचित और अनुचित था, जो वैवाहिक दया की कमी को भी दर्शाता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह अथाह पीड़ा और पीड़ा देने के बराबर होता ताकि अपीलार्थी पत्नी और बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को खतरे में डाला जा सके। यह रिकॉर्ड की बात है कि अपने पति के अचानक गायब होने के परिणामस्वरूप अपीलार्थी पत्नी को 06-12-2014 पर पुलिस से संपर्क करने के लिए मजबूर किया गया था।

(पैरा 9)

ख. हिंदू विवाह अधिनियम**, 1955** धारा **13-**पत्नी द्वारा तलाक याचिका-क्रूरता का आधार-पुलिस के समक्ष पति और पत्नी के बीच समझौता**-** फिर भी**,** संबंध सामान्य से बहुत दूर -पति ने पत्नी और बच्चों के प्रति अपना अमानवीय व्यवहार जारी रखा

अज्ञात स्थान **पर गायब** —पत्नी की मानसिक बीमारी का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत -जीवनसाथी के रूप में अशोभनीय व्यवहार-उपद्रव और **भद्दे दृश्य**—पत्नी को पुलिस की सहायता लेने के लिए मजबूर करना-इसलिए, लगातार क्रूर व्यवहार के साथ पत्नी के लिए उसके साथ रहना असहनीय बना रहा-तलाक मंजूर कर लिया गया।

(पैरा 9)

रमन महाजन अधिवक्ता

अपीलार्थी के लिए।

मनीष के.रामपाल उतरवादी के लिए अधिवक्ता।

मंजरी नेहरू कौल- जे- ओरल

(1) अपीलार्थी -पत्नी द्वारा एडिशनल द्वारा पारित 21-07-2017 दिनांकित निर्णय और डिक्री के खिलाफ तत्काल अपील दायर की गई है। जिला न्यायाधीश, पंचकुला ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 13 के तहत उनके द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।

(2) तत्काल अपील के निर्णय के लिए आवश्यक कुछ तथ्यों पर ध्यान दिया जा सकता है जैसा कि अपीलार्थी-पत्नी द्वारा नीचे दिए गए न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में कहा गया है।

(3) पंचकूला में हिंदू रीति-रिवाजों और समारोहों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच शादी की रस्में पूरी की गईं। उक्त विवाह से दो बच्चे पैदा हुए, जो अपीलार्थी- पत्नी की देखभाल और अभिरक्षा में हैं। अपीलार्थी-पत्नी को उनकी शादी की शुरुआत से ही लगातार शारीरिक और मानसिक यातना का सामना करना पड़ा। प्रत्यर्थी- पति ने रियल एस्टेट और शेयर दलाल में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मार्च 2012 में टाटा एआईजी के साथ अपनी नौकरी छोड़ दी। दूसरी ओर अपीलार्थी-पत्नी ग्रामीण और औद्योगिक विकास अनुसंधान केंद्र, चंडीगढ़ में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम कर रही हैं। प्रत्यर्थी- पति अक्सर भद्दे दृश्य बनाते थे और अपीलार्थी-पत्नी को डराने के लिए उस पर बर्तन फेंकने तक के अनियंत्रित व्यवहार में लिप्त होते थे। जिसके परिणामस्वरूप, अपीलार्थी- पत्नी को अक्सर घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता था, लेकिन उसके तुरंत बाद वह आता और अपने तरीके सुधारने के आश्वासन के साथ उससे माफी मांगता। दिनॉक 27-11-2012 को, जब अपीलार्थी-पत्नी पर प्रतिवादी-पति द्वारा फिर से शारीरिक हमला किया गया, तो उसने पुलिस से संपर्क किया। प्रतिवादी पति ने माफी मांगी और भविष्य में व्यवहार **सुधारने** का वादा किया। हालाँकि प्रत्यर्थी-पति का व्यवहार पहले जैसा ही बना रहा। दिनॉक 06-12-2014 को जब अपीलार्थी -पत्नी बाहर थी

प्रत्यर्थी-पति ने उनके घर यानी मकान न0— 267, सेक्टर 21, पंचकूला को बंद कर दिया और बच्चों के ऊनी कपड़ों सहित सभी सामानों को हटा दिया और अपीलार्थी- पत्नी को अपना ठिकाना बताए बिना गायब हो गया। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए, अपीलार्थी-पत्नी ने पुलिस से संपर्क किया और तभी उसे पता चला कि प्रतिवादी-पति मकान न0— 2850, सनी एन्क्लेव, मोहाली में **चला गया** हैं। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद, प्रतिवादी-पति ने कुछ ऊनी कपड़े और अन्य सामान मकान न0 — 1356, सेक्टर 21, पंचकूला को भेजे। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि **प्रयाप्त** आय अर्जित करने के बावजूद, वह अपीलार्थी-पत्नी और बच्चों को जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं और सुविधाओं से वंचित कर देगा।अपीलार्थी-पत्नी ने दलील दी कि उनकी शादी को बचाने और उनके दोषों को नजरअंदाज करने के लिए उनके द्वारा किए गए सभी प्रयास व्यर्थ रहे क्योंकि प्रतिवादी को ठीक नहीं किया जा सका था। इसलिए, उन्होंने उनकी शादी को भंग करने के लिए प्रार्थना की।

(4) दूसरी ओर, प्रत्यर्थी-पति ने अपीलार्थी-पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए और स्पष्ट रूप से इनकार करते हुए कहा कि वास्तव में यह अपीलार्थी-पत्नी थी, जो गुस्से में थी और सभी के सामने उसके और उसके परिवार के साथ दुर्व्यवहार करती थी।उसने आरोप लगाया कि उसकी माँ ने बैंक से ऋण **लेकर** मोहाली में अपने **पलाट** पर एक घर बनाया था ताकि पूरा परिवार शांति से एक साथ रह सके। हालाँकि, उक्त घर के पूरा होने पर, अपीलार्थी-पत्नी ने नए घर में जाने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया और अपनी माँ द्वारा दिए गए आभूषणों के साथ अपना सारा सामान लेने के बाद बच्चों के साथ अपनी माँ के घर चली गई। उन्होंने आगे कहा कि अपीलार्थी-पत्नी उनके, अपने बच्चों और अपनी माँ के साथ विदेश में बसने का इरादा रखती है। उन्होंने दावा किया कि वह उक्त योजना के लिए सहमत थे, लेकिन अपने पिता की मृत्यु के कारण, उन्होंने उनसे या तो भारत में ही बसने का अनुरोध किया क्योंकि उनकी बीमार मां की देखभाल करने वाला कोई नहीं था या विदेश में उनके साथ जाने के लिए उनकी मां को प्रायोजित करने का विकल्प नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। यह भी **बताया** गया था कि जब वह अपनी बहन की शादी की व्यवस्था कर रहा था, तो अपीलार्थी-पत्नी ने उसके खिलाफ पुलिस में झूठी शिकायत दर्ज कराई और इस प्रकार वह खुद को गिरफ्तार होने से बचाने के लिए समझौता करने के लिए मजबूर हो गया।

(5) अभिवचनों से, विद्वान न्यायालय द्वारा निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए थेः

1. क्या याचिकाकर्ता याचिका में उल्लिखित आधारों पर प्रतिवादी से तलाक की डिक्री का हकदार है? ओपीपी

2. क्या याचिका विचारणीय नहीं है? ओ. पी. आर.

3. क्या याचिकाकर्ता के पास वर्तमान याचिका दायर करने का कोई अधिकार या कार्रवाई का कारण नहीं है? ओ. पी. आर

4. क्या याचिकाकर्ता को वर्तमान याचिका दायर करने के लिए उसके अपने कार्य और आचरण से रोका गया है? ओ. पी. आर

5. क्या याचिकाकर्ता अदालत में **नेक ईरादो** से नहीं आया है और अदालत से सच्चे और भौतिक तथ्यों को छिपा रहा है? ओ. पी. आर

6. राहत।

(6) दोनों पक्षों ने अपने-अपने पक्ष के समर्थन में सबूत पेश किए।अपीलार्थी-पत्नी ने स्वयं **अभियोजन** साक्षी -1 के रूप में गवाह पेटी (कटघरे) में कदम रखा और एक अन्य गवाह से पूछताछ की। उसने Exs.P-1 से पी-3 और मार्क ए, बी, सी और ई को दस्तावेज़ भी प्रस्तुत किए। दूसरी ओर, प्रतिवादी-पति ने आरडब्ल्यू(RW)-1 के रूप में गवाह बॉक्स में कदम रखा और दस्तावेज़ Ex.R-1 को आर-28 को भी प्रस्तुत किया।

(7) साक्ष्य के विश्लेषण पर, निचली अदालत ने अपीलार्थी-पत्नी द्वारा दायर याचिका को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि अपीलार्थी-पत्नी प्रतिवादी-पति के खिलाफ क्रूरता साबित करने में असमर्थ थी।

(8) हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और साक्ष्य के साथ-साथ रिकॉर्ड पर उपलब्ध अन्य सामग्री का पुनर्मूल्यांकन किया है।

(9) हम अपीलार्थी-पत्नी की इस दलील को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं कि प्रतिवादी-पति द्वारा उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया था। क्रूरता का तथ्य मामले-दर-मामले अलग-अलग होगा और किसी विशेष मामले में क्रूरता क्या होगी, इसके लिए कोई सीधा सूत्र निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि कई बार शारीरिक हिंसा या अमानवीय व्यवहार का एक अकेला कार्य भी ऐसी अक्षम्य प्रकृति का हो सकता है जो 'क्रूरता' के दायरे में आता है। हाथ में आये मामले की ओर इशारा करते हुए, यह बताया गया कि प्रतिवादी-पति एक अज्ञात स्थान पर गायब हो गया और वह भी कठोर सर्दियों के महीनों में अपने बच्चों के लिए ऊनी कपड़े भी छोड़े बिना, अपनी पत्नी और बच्चों दोनों के प्रति उसके कठोर और अमानवीय व्यवहार को दर्शाता है, जो निश्चित रूप से क्रूरता के दायरे में आता है। प्रत्यर्थी-पति का आचरण सबसे अनुचित और अन्यायप्रिय था, जो वैवाहिक दया की कमी को भी दर्शाता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह अथाह पीड़ा और पीड़ा देने के बराबर होता ताकि अपीलार्थी-पत्नी और बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को खतरे में डाला जा सके। यह रिकॉर्ड की बात है कि अपने पति के अचानक गायब होने के परिणामस्वरूप अपीलार्थी-पत्नी को 06.12.2014 पर पुलिस से संपर्क करने के लिए मजबूर किया गया था। इतना ही नहीं, यह भी रिकॉर्ड की बात है कि प्रतिवादी-पति ने पहले भी पर पुलिस को एक वचन पत्र, Ex.PY दिया था।

(मंजरी नेहरू कौल, जे.)

28.11.2012 को जिसमें उसने अपीलार्थी-पत्नी पर शारीरिक हमला नहीं करने का वचन दिया था।वास्तव में Ex.PY के अवलोकन से पता चलता है कि अपीलार्थी-पत्नी ने उसमें उल्लेख किया था कि चूंकि प्रतिवादी-पति ने उससे माफी मांगी थी, इसलिए वह मामले को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखती थी। इस प्रकार, निचली अदालत इस बात की सराहना नहीं करके गंभीर त्रुटि में पड़ गई कि प्रत्यर्थी-पति ने स्वयं अपने गलत कार्यों को स्वीकार किया था और यह अभिनिर्धारित करने में और गलती की कि प्रत्यर्थी-पति के निष्पादन के बाद, पक्षकारों ने एक साथ रहना शुरू कर दिया था, जिसका अर्थ था कि अपीलकर्ता-पत्नी ने प्रत्यर्थी-पति को उसके पहले के कार्यों के लिए माफ कर दिया था। हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि Ex.PY यानी पक्षों के बीच समझौते के निष्पादन के बाद भी, उनके बीच संबंध सामान्य से बहुत दूर थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थी-पत्नी ने प्रतिवादी-पति को उसके पहले के दुराचार के कृत्यों के लिए माफ कर दिया, लेकिन उसके बाद भी उसका आचरण, उदाहरण के लिए जब वह 06.12.2014 को एक अज्ञात स्थान पर गायब हो गया, जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की गई है, इस तथ्य को दर्शाता है कि प्रतिवादी-पति ने अपीलार्थी-पत्नी और बच्चों दोनों के प्रति अपना अमानवीय व्यवहार जारी रखा। इतना ही नहीं, निचली अदालत में अधिनियम की धारा 13 दायर करने के बाद भी, प्रतिवादी-पति ने डी. सी. पी., पंचकूला के समक्ष एक आवेदन दायर किया जिसमें उसने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता-पत्नी उचित मानसिक स्थिति में नहीं थी और अवसाद से पीड़ित थी और इसलिए, बच्चे उसके साथ सुरक्षित नहीं थे। यह रिकॉर्ड की बात है कि प्रतिवादी-पति ने उपद्रव और बदसूरत दृश्य पैदा करके पति या पत्नी के रूप में अपना अशोभनीय व्यवहार जारी रखा, जिसके परिणामस्वरूप, अपीलार्थी-पत्नी को पुलिस की सहायता लेनी पड़ी। इसलिए, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि प्रत्यर्थी-पति लगातार अपने क्रूर व्यवहार पर कायम रहा, जिससे अपीलार्थी-पत्नी के लिए पति और पत्नी के रूप में एक साथ रहना असहनीय और असहनीय हो गया।

(10) उपरोक्त की अगली कड़ी के रूप में, वर्तमान अपील की अनुमति है और नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 21.07.2017 के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया गया है। पक्षों के बीच विवाह, तलाक की डिक्री के माध्यम से भंग **किया जाता** है। तदानुसार डिक्री शीट तैयार की जाए।

सुनील चौपड़ा

स्पष्टीकरणः— स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके किसी अन्य उददेष्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता हे। सभी व्यवहारिक और अधिकारीक उददेष्यो के लए निर्णय का अग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कायान्वयन के उददेष्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।